



PRESS RELEASE

ESTIMATES COMMITTEE HAS EMERGED AS AN EFFECTIVE MECHANISM FOR FINANCIAL OVERSIGHT, NOT ONLY SCRUTINIZING FINANCIAL ALLOCATIONS BUT ALSO RECOMMENDING TRANSFORMATIVE REFORMS: SHRI SANJAY JAISWAL/प्राक्कलन समिति वित्तीय निगरानी के एक प्रभावी तंत्र के रूप में उभर कर सामने आई है, जो न केवल वित्तीय आवंटनों की जांच करती है, अपितु परिवर्तनकारी सुधारों की सिफारिश भी करती है: श्री संजय जायसवाल

...

THE RECOMMENDATIONS OF THE ESTIMATES COMMITTEE HAVE NOT ONLY STREAMLINED ADMINISTRATIVE PROCESSES BUT ALSO IMPROVED THE FUNCTIONING OF IMPORTANT NATIONAL INSTITUTIONS: SHRI SANJAY JAISWAL/प्राक्कलन समिति की सिफारिशों ने न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारु बनाया है, बल्कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकरण में सुधार भी किया है: श्री संजय जायसवाल

...

Mumbai, June 23, 2025: Shri Sanjay Jaiswal, Chairman of the Estimates Committee of Parliament, today highlighted the Estimates Committee's pivotal role in ensuring effective governance. "The Estimates Committee is an effective platform for scrutinizing government expenditure estimates and improving administration, efficiency, and economy, reflecting its crucial role in safeguarding public interest," he said. Over the years, the Committee has emerged as a robust mechanism for financial oversight, not only scrutinizing financial allocations but also recommending transformative reforms. Shri Jaiswal noted that the Committee's formation on April 10, 1950, marked a transformative step in India's parliamentary democracy, driven by the need for strict financial oversight. He mentioned that the Committee was conceptualized to scrutinize government expenditure, ensure prudent use of public funds, and serve as a guide for future estimates and policies. He underscored the Committee's commitment to promoting transparency, accountability, and good governance in public financial management.

Shri Sanjay Jaiswal made these remarks while speaking at the inaugural session of the Conference of Chairpersons of Estimates Committees of Parliament and State Legislatures, held in Mumbai.

Shri Jaiswal, while mentioning the Committee's important reports, said that several significant policies have been shaped based on its recommendations. He said that the committee has consistently worked towards improving government efficiency and economy since its inception. Its recommendations have not only streamlined administrative processes but also improved the functioning of important national institutions. It has made significant contributions to improving the operational capacity and connectivity of Indian Railways and played a role in infrastructure development. The committee has actively worked with public sector undertakings and made recommendations to ensure reporting and accountability, thereby increasing transparency in parliamentary debates. The Committee focused on budget reform initiatives aimed at improving transparency and management in government expenditure. It has made several recommendations to enhance the effectiveness of public services and make them more citizen-centric. The Committee has recently focused on contemporary challenges such as climate change and rejuvenation of the Ganga River, demonstrating our adaptability and commitment to addressing critical environmental issues. Shri Jaiswal.....that the recommendation for the formation of a strong authority for the Ganga River has showcased Committee's ability to shape policy decisions and contribute to national progress on various issues.

He said that the Committee's constructive approach to working with government officials is crucial, and its members engage in open and participatory discussions to identify areas for improvement and enhance administrative efficiency. This spirit of partnership has been the cornerstone of the Committee's success, and by promoting mutual respect, the Committee has created a culture where recommendations translate into tangible reforms. He further said that the Committee has continuously refined its working methods and established detailed rules of procedure and practice to ensure smooth functioning. The comprehensive internal rules of procedure, approved in 1968, guide the committee's functioning and demonstrate its commitment to remaining relevant and responsive to the evolving needs of governance, he informed.

Shri Jaiswal further aid that this conference is a historic event where the Estimates Committees of Parliament, State Legislatures, and Union Territories have come together for the first time. It provides an opportunity to share experiences, exchange best practices, and explore innovative ways to strengthen financial oversight. He appreciated the guidance of Lok Sabha Speaker Shri Om Birla in organizing this conference

मुंबई, 23 जून 2025: संसद की प्राक्कलन समिति के सभापति, श्री संजय जायसवाल ने आज प्रभावी शासन सुनिश्चित करने में प्राक्कलन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्राक्कलन समिति सरकारी व्यय के प्राक्कलन की जांच करने और प्रशासन, कार्यकुशलता और अर्थव्यवस्था में सुधार करने का प्रभावी मंच है, और यह

लोकहित की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विगत वर्षों में यह समिति वित्तीय निगरानी के एक प्रभावी तंत्र के रूप में उभर कर सामने आई है, जो न केवल वित्तीय आवंटनों की जांच कर रही है, अपितु परिवर्तनकारी सुधारों की सिफारिश भी कर रही है। श्री जायसवाल ने इस बात का उल्लेख किया कि 10 अप्रैल 1950 को प्राक्कलन समिति का गठन भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में एक परिवर्तनकारी कदम था और कड़ी वित्तीय निगरानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस समिति का गठन किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि समिति की परिकल्पना सरकारी व्यय की जांच करने और सार्वजनिक धन के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने और भावी प्राक्कलनों और नीतियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। उन्होंने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने के प्रति समिति की प्रतिबद्धता के बारे में भी बात की।

श्री संजय जायसवाल ने ये टिप्पणियां मुंबई में आयोजित संसद और राज्य विधान मंडलों की प्राक्कलन समितियों के सभापतियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान बोलते हुए की।

श्री जायसवाल ने समिति के महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों का उल्लेख करते हुए कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर कई महत्वपूर्ण नीतियाँ तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि समिति ने अपनी स्थापना से ही सरकारी दक्षता और अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। इसकी सिफारिशों ने न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारु बनाया है, बल्कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकरण में भी सुधार किया है। समिति ने भारतीय रेल की प्रचालनात्मक क्षमता और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है और बुनियादी सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समिति ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सक्रिय रूप से कार्य किया और रिपोर्टिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करने संबंधी सिफारिशें कीं, जिससे संसदीय वाद-विवाद में पारदर्शिता बढ़ी। समिति ने बजट सुधार के कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य सरकारी व्यय में पारदर्शिता और प्रबंधन में सुधार लाना था। इसने लोक सेवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और उसे जनाकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए कई सिफारिशें की। उन्होंने आगे कहा कि हाल ही में, जलवायु परिवर्तन और गंगा नदी के कायाकल्प जैसी समकालीन चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिससे महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान करने की समिति की अनुकूलन क्षमता और प्रतिबद्धता का पता चलता है। श्री जायसवाल ने यह भी कहा कि गंगा नदी के लिए एक सशक्त प्राधिकरण के गठन के लिए समिति की सिफारिश से नीतिगत निर्णयों को दिशा

देने और विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देने की क्षमता का परिचय मिलता है।

श्री जायसवाल ने कहा कि सरकारी अधिकारियों के साथ कार्य करने के लिए समिति का रचनात्मक दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके सदस्य सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए खुली और सहभागी वार्ता करते हैं। साझेदारी की यह भावना समिति की सफलता का आधार है और परस्पर सम्मान की भावना को बढ़ावा देकर समिति ने एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया है जहाँ सिफारिशें ठोस सुधारों में परिणत होती हैं। उन्होंने आगे कहा कि समिति ने अपने कार्य करने के तरीकों को निरंतर बेहतर बनाया है और प्रक्रिया तथा परंपराओं के विस्तृत नियम स्थापित किए हैं ताकि संचालन सुव्यवस्थित रहे। उन्होंने कहा कि 1968 में अनुमोदित व्यापक आंतरिक प्रक्रिया नियमों के अनुसार समिति प्रासंगिक एवं शासन की उभरती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बने रहने की प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है।

श्री जायसवाल ने कहा कि यह सम्मेलन एक ऐतिहासिक आयोजन है जिसमें संसद, राज्य विधान मंडलों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्राक्कलन समितियाँ पहली बार एक साथ आई हैं। इससे समितियों को अपने अनुभव साझा करने, सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का आदान-प्रदान करने और वित्तीय निगरानी को मजबूत करने के लिए नवाचारी तरीकों पर विचार करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने इस सम्मेलन के आयोजन में लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के मार्गदर्शन की सराहना भी की।